रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937
No. 05]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 5(अ).-केंद्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37), की धारा 96 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, रजिस्ट्रार अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रजिस्ट्रार	01(2015)	समूह 'क' के समतुल्य, राजपत्रित सचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + गेड वेतन 8700 रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाऐगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु अवधि संविदा)/आमेलन द्वारा स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु अवधि संविदा)/आमेलन द्वारा स्थानान्तरण: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी- क (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर	विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव (कार्मिक/प्रशासन) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'छ' स्तरीय	लागू नहीं होता।

			सदृश पद धारित किए हुए, या (ii) वेतनमान-3 15,600रु.- 39,100 रु. सहित ग्रेड वेतन – 7600 रु. में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और ख*(i) जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी इंजीनियरी में स्नातक डिग्री हो साथ ही इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में नौ वर्ष का अनुभव हो; या (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री साथ ही इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव; या (iii) विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री 'बी' लेवल डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एकरेडिटेशन कोर्स (डीओईएसीसी) सहित इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में नौ वर्ष का अनुभव; या (iv) विज्ञान में पी.एच.डी. या इंजीनियरी, जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो, और ग. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित क्षेत्र में विनिर्दिष्ट रूप से अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन, विकास परियोजना क्रियान्वयन या नीति निर्माण के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। * निम्नलिखित विषयों में ऊपर दी गई डिग्रीयां वांछनीय हैं: कम्प्यूटर इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, कंप्यूटर विज्ञान और अन्य संबद्ध विषय। स्थानान्तरण:-स्थानान्तरण उपबंध के अधीन जो अधिकारी आएगा, सम्यक रूप से गठित चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पश्चात् पद/ग्रेड में स्थाई रूप से आमेलित हो सकेगा।	अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य 3. अन्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभागों से वैज्ञानिक 'छ' स्तर के ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी या सरकारी सोसायटी के समान स्तर के अधिकारी – सदस्य	

			टिप्पण1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (लघु कालिक संविदा सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुन:रोजगार: सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष के भीतर आरक्षिती में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव है, को भी ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।		

[फा. सं. 1(6)/2013-पी-III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2016

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 96, of the Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act, 2000 (No. 37 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Registrar in the office of Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry, Statutory Body under the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Registrar, Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Registry, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classifications, pay band and grade pay or scale of pay.**–The number of the said post, its classification and the pay band or grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** .–The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.**–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or scale of pay	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Registrar	01 (2015)	Equivalent to Group A, Gazetted, Ministerial.	PB-4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8700	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation (including short-term contract)/ transfer by absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
For deputation (including short-term contract)/By Transfer on absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies – A. (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600/- to Rs. 39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and B. *(i) Possessing Bachelors degree in Engineering of Technology from a recognised University with nine years experience in the field of Electronics; or (ii) Masters Degree in Engineering or Technology from a recognised University with seven years experience in the field of Electronics; or (iii) Masters Degree in Science or computer applications, 'B' level Department of Electronics Accreditation Course (DOEACC) with nine year experience in the field of Electronics; or (iv) Ph.D in Science or Engineering with five years experience in the field of Electronics; and C. Minimum two years experience in the field of Microelectronics related areas specifically the Semiconductor Integrated Circuit design, development, project implementation or policy formulation. *The above degrees are desirable in the following disciplines: Computer Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical Engineering, Computer Science and other related disciplines. Transfer: Under the provision transfer, the officer who will come may be permanently absorbed in the post/grade after recommendation by the duly constituted Selection Committee. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment on deputation (including	**Departmental Selection Committee comprising of:-** 1. Joint Secretary (Pers./Admn.) Department of Electronics and Information Technology – Chairman 2. Scientist 'G' level Officer, Department of Electronics and InformationTechnology. –Member 3. Senior Technical Officer of the level of Scientist 'G' from other Scientific &Technical Departments/Public Sector Undertaking or equal level of officer of any Government Society – Member	Not applicable.

short-term contract)/Transfer by absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January,2006 on the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **For Ex-Serviceman:** Deputation or re-employment: The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience can also be considered for appointment of such persons.		

[F. No. 1(6)/2013-P.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.